न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या-03/2023

राज्य

बनाम्

शिवनारायण साव

–: आदेश :–

23/07/23

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 99/अप0शा0 दिनांक 24.01.2023 एवं पत्रांक 2771/अप0शा0 दिनांक 17.12.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

राज्य सरकार की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

यह वाद बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–161/2022 दिनांक–20.08.2022 से संबंधित है। कांड में जप्त लोडर रजि0 संख्या–JH13E-3193 चेसीस नं0–PUN432Z0VH218779 इंजन नं0–84417602 को राजसात करने के लिए प्रस्ताव समर्पित किया गया।

राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि यह काण्ड वादी पु0अ0नि0 प्रेम कुमार निषाद वर्तमान में बालूमाथ थाना अन्तर्गत अमरवाडीह पीकेट प्रभारी के टंकित आवेदन के आधार पर बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–161/2022 दिनांक 20.08.2022 दर्ज किया गया। दिनांक 20.08.2022 को रात्रि समय करीब 1:30 बजे थाना प्रभारी को सूचना प्राप्त हुआ कि मगध कोल परियोजना के टंडवा थाना अंतर्गत कुन्डी कोलयरी से चोरी का अवैध कोयला लदा हुआ कई ट्रक बालूमाथ होकर अन्य शहरो में बिक्री के लिए जाने वाला है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू पु0अ0नि0, प्रेम कुमार निषाद, अमरवाडीह पीकेट प्रभारी, स0पु0अ0नि0 एवं सशस्त्र बल के द्वारा अमरवाडीह पीकेट के सामने मगध कोलियरी से बालूमाथ जाने वाली सड़क पर कोयला लदे वाहनों का चेकिंग किया गया। वाहन चेकिंग के क्रम में एक साथ तीन ट्रक कोलियरी से बालूमाथ कि ओर आते दिखाई दिया। सशस्त्र बल के सहयोग से टार्च कि रोशनी से रूकने का इशारा किया तो तीनो ट्रक चालक गाड़ी के लाईट में पुलिस को देखकर कुछ दूर पहले ही ट्रक को खड़ा कर भागने लगे तत्पश्चात सशस्त्र बल के सहयोग से भाग

रहे तीनों ट्रक चालकों को दौड़ा कर पकड़ा गया। ट्रक चालकों के द्वारा बताया गया कि ट्रक में लदे कोयला से संबंधित कोई वैध कागजात नहीं है, तीनों ट्रक में लोड कोयला चोरी का है। उक्त तीनों ट्रकों में कुण्डी कोल माईंस के 13 नं0 स्टॉक से 9 नंबर लोडर से कोयला लोड किया गया है। काण्ड में जप्त लोडर रजि0 नं0–JH13E-3193 चेसीस नं0–PUN432Z0VH218779 इंजन नं0–84417602 को अमरवाडीह पुलिस पिकेट में सुरक्षार्थ रखा गया। अनुसंधान के क्रम में जप्त लोडर के नाम पता का सत्यापन जिला परिवहन कार्यालय, लातेहार से किया गया तो ज्ञात हुआ कि लोडर रजि0 नं0–JH13E-3193 के मालिक का नाम शिवनारायण साव पिता–मतलू साव, सा0–कुण्डी, पो0–कराढु, थाना–टण्डवा, जिला–चतरा है। काण्ड में जप्त उक्त लोडर को राजसात की कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी को पक्ष रखने के लिए बार–बार नोटिस निर्गत कर निबंधित डाक से तामिला कराया गया तथा निर्गत नोटिस को स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। जप्त लोडर रजि0 नं0–JH13E-3193 चेसीस नं0–PUN432Z0VH218779 इंजन नं0–84417602 के वाहन मालिक शिवनारायण साव पिता–मतलू साव, सा0–कुण्डी, पो0–कराढु, थाना–टण्डवा, जिला–चतरा द्वारा नोटिस प्राप्त करने के बाद भी उपस्थित होकर पक्ष रखने में अभिरूची नहीं लिया गया। फलस्वरूप वाद को एकपक्षीय करते हुए राज्य की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वाद की सुनवाई की गयी।

"The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(V) में उल्लेखित है कि "Any minerals, tool, equipment, vehicle or anything seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court."

उपरोक्त तथ्यों के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट होता है कि काण्ड में जप्त लोडर रजि0 नं0–JH13E-3193 के द्वारा चोरी का कोयला लोड किया गया है। अतः लोडर रजि0 नं0–JH13E-3193 को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार 08 सप्ताह के अन्दर नियमानुसार वाहन की निलामी कर प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार राजसात वाहन का निलामी की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग करेंगे।

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, बालूमाथ थाना, जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार, जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार, पुलिस अधीक्षक, लातेहार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार को भेजें।

अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

28/07/23

उपायुक्त,
लातेहार।

28/07/23

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2023.04.21 16:40:53 +05:30
Location: 10.93.47.5